

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6बी/वि0-10133/2019- 238

पटना -15, दिनांक -20/2/25-

सेवा में,

महालेखाकार,
वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय -वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय -उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष - 102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम - मांग संख्या - 36 -उप शीर्ष -0107-ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख-रखाव-सात निश्चय-2- विपत्र कोड- 36-2215011020107- विषय शीर्ष -0107-27-02 अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत ₹100.00 करोड़ रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) मात्र की राशि की निकासी की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के लिए वर्ष 2024-25 में योजना बजट में ₹645.00 करोड़ रुपये (छः सौ पैंतालीस करोड़ रुपये मात्र) का प्रावधान है। इस राशि का व्यय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के निश्चय "हर घर नल का जल" के तहत गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने एवं अन्य सदृश्य कार्यों के क्रियान्वयन पर किया जाना है। इसके लिए तत्काल ₹100.00 करोड़ (एक सौ करोड़ रुपये) मात्र की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय योजना का 2215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय -उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष - 102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम - मांग संख्या - 36 -उप शीर्ष -0107-ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख-रखाव-सात निश्चय-2- विपत्र कोड- 36-2215011020107- विषय शीर्ष -0107-27-02 अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य अन्तर्गत भारितव्य होगा।

4. योजना से संबंधित राशि की निकासी विभागीय विभिन्न स्वीकृत्यादेशों तथा आवंटन आदेश संख्या-506 (आ.) दिनांक - 20.02.2025 के आलोक में की जायेगी।

5. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या - 5537, दिनांक - 24-06-2015 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यपालक अभियंता (मो0-II) -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा की जायेगी, यह राशि CFMS के माध्यम से निकासी कर सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना स्थित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता संख्या -PNB PLA 006, विपत्र कोड -008448-00-120-0041 में अंतरण किया जायेगा।

6. विषयगत राशि की निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या - 2561/वि0(2) दिनांक - 17-04-1998 के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई है।

7. इस पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8. यह राशि बजट के अधीन है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजीव कुमार)

विशेष सचिव

ज्ञापांक- 6बी/वि0-10133/2019-238

पटना -15 दिनांक - 20/2/25

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार)

विशेष सचिव

ज्ञापांक- 6बी/वि0-10133/2019-238

पटना -15 दिनांक - 20/2/25

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव(मु0/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/मुख्य अभियन्ता(रूपांकण)/विशेष पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र0को0) /अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/उप निदेशक (अन्वे0)/उप निदेशक (मू0)/बजट पदाधिकारी/कार्यपालक अभियन्ता (मो0-I)/ कार्यपालक अभियन्ता (मो0-II)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित/ आई0 टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी -12/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी-12 को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार)

विशेष सचिव